कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला – सुकमा छ.ग.

Email Id-deo.sukma2012@gmail.Com {h & Fax No-07864284401

// स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्रेस विज्ञप्ति 2//

कमांक/ 57 /जि.शि.अ./स्था.अ.शि./2025–26 सुकमा, दिनांक 05/08/2025

कलेक्टर महोदय, जिला सुकमा के निर्देश एवं अनुमोदन दिनांक 28.07.2024 के अनुसार इस कार्यालय से पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति कमांक/52/जि.शि.अ./स्था.अ.शि./2025–26 सुकमा, दिनांक 01/08/2025 के अतिरिक्त सुकमा जिला में संचालित शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गणित/जीव विज्ञान/भौतिकी के व्याख्याता के कुल 05 रिक्त पदों पर जिला खनिज न्यास निधि मद से स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय कर शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाये जाने हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारो से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्राचार्य शा. हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला सुकमा को दिनांक 05/08/2025 से 11/08/2025 के संध्या 05:00 बजे तक जमा किया जावेगा। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापित पदों का विषयवार, विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	वि.खं.	स्कूल का नाम	व्याख्याताओं के रिक्त पदों की जानकारी							रिमार्क
			अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	योग	
1	कोण्टा	शा. हाई स्कूल चिन्तलनार	1	0	0	0	0	0	**1**	
2	कोण्टा	शा. पो.के. हाई स्कूल मरईगुड़ा	0	1	0	0	0	0	**1**	
3	कोण्टा	शा.उ.मा.वि. गोलापल्ली	0	1	0	1	0	0	**2**	
4	छिन्दगढ़	शा.उ.मा.वि. तोंगपाल	0	0	1	0	0	0	**1**	
योग :–			**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**5**	

स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड :–

1. **स्थानीय अतिथि शिक्षक व्यवस्था** :– यह शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। संस्था में पद रिक्तता की स्थिति में सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा। योग्य अभ्यर्थी स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु पद रिक्त वाले विषय में संबंधित संस्था में चयन हेतु स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. **प्राथमिकता** :– विगत वर्ष में कार्य पर रखे गये स्थानीय अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसके लिए इस वर्ष (2025–26) कार्य पर रखे जाने हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. **शैक्षणिक योग्यता** :– हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापन हेतु स्थानीय अतिथि शिक्षक के लिए संवंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। बी.एड को प्राथमिकता होगी।
4. **स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु वरीयता क्रम** :–

4.1 स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला के आवेदनों को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।

4.2 एक ही ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला से दो या दो से अधिक आवेदन उपलब्ध होने की स्थिति में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के मेरिट को आधार माना जावेगा।

4.3 इनमें से किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले हितग्राही को प्राथमिकता दिया जावेगा।

क्रमशः 02 पर

4.4 निर्धारित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता के अभ्यर्थी प्राप्त न होने पर उपरोक्त अहर्ताओं में शिथिलता दी जा सकेगी। अध्यापन विषयों के आधार पर अंग्रेजी विषय के लिये बी.एस.सी./बी.ए. /बी.कॉम तथा गणित/जीव विज्ञान/भौतिकी/रसायन के लिये संबंधित विषयों में बी.एस.सी. गणित/जीव विज्ञान को प्राथमिकता दिया जावेगा तथा उक्त विषय के साथ बी.एड़ को प्राथमिकता दिया जावेगा।

5. <u>मानदेय</u> :– स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु मानदेय रूपये 13,000/– मासिक होगा। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात् संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। संस्था प्रमुख द्वारा एक पंजी पृथक से संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के वेतन पत्रक के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।

6. <u>शिक्षण अवधि</u> :– माह अगस्त 2025 से अप्रेल 2026 तक ही होगी।

7. <u>अन्य शर्ते</u> :–

7.1 स्थानीय अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः नियमानुसार किसी प्रकार का कोई नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा दी जावेगी। साथ ही स्थानीय अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार से पुनः कार्य पर लेने की मांग नहीं करेंगे। संस्था प्रमुख स्थानीय अतिथि शिक्षको को अवगत करायेंगे।

7.2 शाला में स्थानीय अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमित व्याख्याता के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी। यह व्यवस्था एक वित्तीय वर्ष 2025–26 तक मान्य होगा एवं संलग्न विद्यालय सूची अनुसार ही स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा ली जावेगी।

7.3 स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

7.4 स्थानीय अतिथि शिक्षक की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेगें। विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7.5 स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा लिये जाने हेतु जारी रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

8. <u>निरीक्षण</u> :– संबंधित प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, खण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक द्वारा पाक्षिक निरीक्षण/अवलोकन रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिसमें उनके कार्यो की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला –सुकमा छ.ग.

//आवेदन पत्र प्रारूप//

::स्थानीय अतिथि शिक्षक पद हेतु::

रंगीन फोटो
स्व प्रमाणित

प्रति,

प्राचार्य,

....

वि.खं.–सुकमा/कोण्टा/छिन्दगढ़
जिला सुकमा (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :–..
2. विषय :–..
3. आवेदित शाला का नाम :–..
4. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :–..
   (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :–..
5. पिता/पति का नाम :–..
6. माता का नाम :–..
7. लिंग (महिला/पुरूष) :–..
8. जन्म तिथि (अंको में) :–..
   (जन्म तिथि शब्दों में) :–..
9. वर्ग :–..
10. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक :–..
11. पंजीजन दिनांक :–..
12. शैक्षणिक योग्यता

क्रं.	उत्तीर्ण परीक्षा/स्तर का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्था कानाम	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

13. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सूची :–

1.	2. ....
3.	4. ....
5.	6. ....
7.	8. ....
9.	10. ....
11.	12. ....

//घोषणा पत्र//

मै एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूं कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में विज्ञापन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा बिना बताए मेरे आवेदन को निरस्त करते हुये/ली जा रही सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक.................................

स्थान..............................

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम एवं पूर्ण पता)

नाम :...

पता :...

....